


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

डा० कृष्ण दत्त बनाम रुरतम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मग इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अत प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्ज अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.08.2025 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख० न० 146 रकबा 0.29हे० वाके याम खानपुर मदान तहसील किशनगढबास में विवादित आराजी पर कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करे एव अबट आराजी पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का नवीन निर्माण नहीं करे। टीगर व्यक्ति को रहन,बय,लिज,हिवा आदि से मुन्तकिल न कर तथा प्रार्थी के हिस्से तक भौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो बी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए डी तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)</p>	